राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3665/2024

श्रीमती सोना योगी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, बूंदी।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.12.2024

आदेश की दिनांक : 10.12.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बलकासा, केशोरायपाटन, जिला बूंदी में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति अध्यापक के पद पर शिक्षा विभाग में वर्ष 2022 में हुई थी। उसकी सेवायें हमेशा संतोषजनक रही हैं। अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश दिनांक 06.12.2024 के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पापडी ब्लॉक केशोरायपाटन किया गया है। दिनांक 22.07.2024 को अपीलार्थी को एक संतान पैदा हुई है और वर्तमान में अपीलार्थी प्रसूति अवकाश

पर चल रही है, जो अनुलग्नक–2 से प्रकट होता है। अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक है फिर भी अपीलार्थी को अधिशेष किया गया है। जिस प्रकार अधिशेष किया गया है वह प्रक्रिया विधि के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 की क्रियान्विति पर रोक लगाई जाकर निरस्त फरमाया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बलकासा, केशोरायपाटन, जिला बूंदी में कार्यरत है। जहां तक अपीलार्थी को आदेश दिनांक 06.12.2024 के द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पापडी, केशोरायपाटन स्थानांतरण/पदस्थापन किये जाने का प्रश्न है, अनुलग्नक–2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी 180 दिवस के मातृत्व अवकाश पर है और उक्त अवकाश दिनांक 22.07.2024 से 180 दिवस के लिये है। इसी दरम्यान अपीलार्थी का उक्त आलोच्य आदेश के द्वारा पदस्थापन किया गया है, जबकि अपीलार्थी मातृत्व अवकाश पर है। ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि उक्त परिस्थितियों को देखते हुये अपीलार्थी को मातृत्व अवकाश पूर्ण होने तक उक्त आलोच्य आदेश की पालना में कार्यमुक्त नहीं किया जावे।

अतः उक्त अपील उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष